(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

जगदीश बनाम नाथी वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 60 सन् 2025

Cases 2025/330

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख मे जारी हुए
17.06.25	अधिवक्ता प्रार्थीगण ने मय वाद प्रार्थना पत्र पेश कर बहस एकतरफा में निवेदन किया की भूमि आराजी ख0न0 649/2, 650/2, 650/3, 662, 663 कुल किता 05 कुल रकबा 6.2973 हैक्ट. वाके ग्राम मुमाना, पटवार हल्का काशीपुरा में स्थित है, जो प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 04 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की पैत्तृक भूमियां है। जिसमें प्रतिपक्षी संख्या 01 लगायत 04 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा बनता है। प्रार्थी, प्रतिपक्षी संख्या 04 का पुत्र है। जिसमे उक्त 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्सा अर्थात प्रार्थी का कुल भूमियो में 1/8 हिस्सा है। जिसका प्रार्थी काबिज सहकृष्ण तथा वास्तविक खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 04 का संयुक्त हिन्दू परिवार है। उपरोक्त वर्णित भूमियां पक्षकारान् के पूर्वज कल्याण ब्राह्मण द्वारा अपने जीवनकाल में अपने परिवार के हितार्थ संयुक्त परिवार की आमदनी से स्वयं ने राशि खर्च करने उपरोक्त भूमियां जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा मालिकाना प्राप्त किया था। जिस पर कल्याण का कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग प्रारम्भ हो चुका था। उस समय प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 04 का परिवार संयुक्त था। कल्याण ने उपरोक्त भूमियो का विक्रय पत्र अपनी सुविधा के अनुसार प्रतिपक्षी संख्या 01 के नाम निष्पादन व पंजीयन करवा लिया था। जबकि भूमियां प्रार्थी के दादा द्वारा बनायी व बसायी गई है। जिसमें उसके परिवार के सदस्यो का समान हक व कब्जा चला आ रहा है। कल्याण का देहान्त हो चुका है। उसके तीनो पुत्र व पत्नि जीवित है, जो प्रतिपक्षीगण है। प्रार्थी कल्याण व नाथी का पौत्र है। जिसका पैत्तृक संपत्ति में जन्म सिद्ध अधिकार है। जिसको अपने हिस्से पर काबिज रहकर जीवन यापन करने तथा हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। प्रतिपक्षी संख्या 01 ने जमाबंदी में दर्ज अपने नाम का फायदा उठाकर उक्त वर्णित आराजीयात को प्रतिपक्षी संख्या 05 ता 07 के नाम एक नुमाईशी विक्रयपत्र करवा दिया, जो की प्रारम्भतः अवैध तथा गैर कानूनी है। प्रतिपक्षी	

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 05 ता 07 अपने नाम तथाकथित विक्रयपत्र तथा जमाबंदी में नुमाईशी अंक[न] होने का नाजाजय फायदा उठाकर, जबरन ताकत के बल पर वादग्रस्त भूमियो प[र] कब्जा करने, प्रार्थी को बेदखल करने तथा भूमियो को शीघ्रता से अन्य के हक [में] अन्तरण/रहन, दान, बेचान, खुर्द बुर्द, कृषि से अकृषि में परिवर्तन, निर्माण कार्य कर[ने] पर आमादा है। जिसका प्रतिपक्षी संख्या 05 ता 07 को कोई वैधानिक अधिकार न[हीं] है। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्य[क] एवं न्यायसंगत है।

प्रकरण में प्रस्तुत प्रा0पत्र का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी क[ी] बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के हक में प्रतीत हो[ता] है। अतः प्रतिपक्षी संख्या 05 ता 07 को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी पेशी त[क] पाबन्द किया जाता है की वे भूमि आराजी ख0न0 649/2, 650/2, 650/3, 66[2], 663 कुल किता 05 कुल रकबा 6.2973 हैक्ट. वाके ग्राम मुमाना, पटवार हल्क[ा] काशीपुरा में राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखे। प्रतिपक्षीगण की तलबी जरि[ये] रजिस्टर्ड एडी0 जारी हो। यदि इस आदेश के जारी होने में आपत्ति हो त[ो] प्रतिपक्षीगण नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज्र पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 15.07.2025 को पेश हो। [signature]

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

15/7/25 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता वादी उपस्थित सम्मन तामील पेश होकर पत्रावली दिनांक 18.7.25 को पेश हो। [signature]

18/07/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उप./मूल वाद डिग्री किये जाने के कारण प्रकरण मे अंतिम कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज किया जाकर पत्रावली डिग्री की जाती है। पत्रावली नियमानुसार शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं मिसल नम्बर से कम हो। [signature]

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)